AY/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 22/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/51

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी, पचांयत समिति मारवाड जंक्शन जिला पाली		1. सरपंच, ग्राम पंचायत सारण 2. स्व. कुनाराम पुत्र डाउ कुम्हार निवासी सारण तहसील मारवाड जंक्शन (चान्दमल पुत्र कुनाराम कुम्हार व मालाराम पुत्र कुनाराम कुम्हार)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

–: निर्णय :–

दिनांक :– 11.6.2024

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत सारण द्वारा मिसल संख्या 7 दिनांक 22.07.1973 की पालना में स्व. कुनाराम पुत्र डाउ कुम्हार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 254 दिनांक 08.06.1981 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। प्रार्थी वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित। अप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित। उभयपक्ष वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जैर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सारण ने मिसल संख्या 7 दिनांक 22.07.1973 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 स्व. कुनाराम पुत्र डाउ कुम्हार जाति कुम्हार निवासी सारण के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा निष्पादित किया, जिसका क्षेत्रफल 4715 फीट है। ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है जबकि तहसीलदार मारवाड जंक्शन के अनुसार जैर निगरानी पट्टे की भूमि गैर मुमकीन श्मशान है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14779/2021 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2021 की पालना के तहत ग्राम पंचायत सारण में खसरा नम्बर 1028 किस्म गैर मुमकिन श्मशान पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किये है। तहसीलदार मारवाड जंक्शन के पत्रांक 1209 दिनांक 03.03.2022 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 1028 में स्थित है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है इसलिये इसे निरस्त करने का निवेदन किया है।

वक्त बहस उभयपक्ष अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण के आधार निर्णय पारित किया जावेगा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सारण द्वारा मिसल संख्या 7 दिनांक 22.07.1973 की पालना में स्व.

अति. जिला कलक्टर, पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

कुनाराम पुत्र डाउ कुम्हार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 254 दिनांक 08.06.1981 के विरूद्ध पेश की है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के नियम 266 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा निष्पादित किया था, जिसका क्षेत्रफल 4715 वर्गफीट है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को पंचायतीराज नियम में निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो नियमानुसार सही नहीं है।

तहसीलदार मारवाड जंक्शन के पत्र दिनांक 03.03.2022 में अंकितानुसार मौजा सारण के खसरा नम्बर 1024, 1028 में किये गये अतिक्रमियों के विरूद्ध दर्ज धारा 91 के प्रकरणों में कैम्प सारण मे दिनांक 02.03.2022 को सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई की गई। मौके पर उक्त खसरों में अतिक्रमियों द्वारा पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। दौराने सुनवाई अतिक्रमियों द्वारा जवाब प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत सारण द्वारा जारी पुराने पट्टे पेश किये गये। चुकि ग्राम पंचायत सारण द्वारा उक्त पट्टे खसरा नम्बर 1024 गै.मु. वाला तथा खसरा नम्बर 1028 गै.मु.श्मशान में जारी किये गये है जो विधिविरूद्ध है। साथ ही उक्त खसरो पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो की सूची बनाकर भी विकास अधिकारी मारवाड जंक्शन को प्रेषित की गयी। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त खसरे में बने विधिविरूद्ध पट्टे के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी प्रस्तुत की गयी।

तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रेषित सूची में क्रम संख्या 6 पर अंकित चान्दमल पुत्र कुनाराम कुम्हार तथा क्रम संख्या 7 पर अंकित मालाराम पुत्र कुनाराम कुम्हार के पिता को ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया था। जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सारण के पत्र क्रमांक 92, 93 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 1028 किस्म गै.मु.श्मशान राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने की पुष्टि की है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा गैर मुमकिन श्मशान की भूमि में जारी किया है, जो विधिविरूद्ध है।

ग्राम सारण पटवार हल्का सारण तहसील मारवाड जंक्शन की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार खसरा संख्या 1028 किस्म गै.मु.श्मशान है। राज. पंचायती राज नियम 1961 के नियम के अनुसार ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है लेकिन जैर निगरानी प्रकरण में ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर गै.मु.श्मशान की भूमि पर पट्टा जारी किया है जो विधि विरूद्ध होने से यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14779/2021 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2021 की पालना के तहत ग्राम पंचायत सारण में खसरा नम्बर 1024 किस्म गै.मु.वाला व खसरा नम्बर 1028 किस्म गैर मुमकिन श्मशान पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किये है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सारण द्वारा मिसल संख्या 7 दिनांक 22.07.1973 की पालना में स्व. कुनाराम पुत्र डाउ कुम्हार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 254 दिनांक 08.06.1981 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/6/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)